

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या -07/2017

आदेश दिनांक:-

06-04-2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :— श्री रवि शंकर
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :— श्री डी.के.गर्ग

प्रत्यर्थीगण की ओर से एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 01.05.2017 को रद्द (Vacate) करने के संबंध में प्रार्थना पत्र संख्या-27572 प्रस्तुत किया गया है ।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को इस प्रार्थना पत्र पर सुना गया ।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के कथनों पर विचार करने के बाद व विशेष रूप से यह देखते हुए कि प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरुद्ध आक्षेपित डिक्री धन के संदाय की है, आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/प्रतिवादी इस आदेश की तिथि से एक माह में 50,000/- रुपये विचारण न्यायालय में जमा करा दें तो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2016 के निष्पादन की कार्यवाही इस अपील के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगी । परन्तु यदि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा इसकी पालना नहीं की जाती है तो प्रत्यर्थीगण/वादीगण आक्षेपित डिक्री का निष्पादन कराने को स्वतंत्र होंगे ।

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने पर प्रत्यर्थीगण/ वादीगण इस राशि में से 50% राशि यदि वे चाहें तो प्राप्त कर सकेंगे ,बशर्ते इस राशि के संबंध में वे Solvent Security और स्वयं की सशपथ Undertaking विचारण न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि यदि इस अपील का अंतिम निर्णय उनके विरुद्ध हो जाता है तो वे प्राप्त की गई समस्त राशि, इस राशि पर 9% वार्षिक दर से प्रत्याहृत करने की

दिनांक से वापस लौटाने की तिथि तक के देय ब्याज सहित अपीलार्थी/प्रतिवादी को लौटा देंगे । शेष राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए जमा करायी जावे ।

स्थगन प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र संख्या 27572 इसी अनुसार निस्तारित किये जाते हैं ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)